

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अम्बालाल

बनाम

मोडा

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 219/2022

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

20/5/2022

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / ~~श्रीमती~~ अम्बालाल पित्त उकार जी भीणा
आशा D/0 मांगीलाल भीणा, कमला पत्नी मांगीलाल भीणा
~~श्री~~ श्री कैलाशचन्द्र - काशूराम - लक्ष्मीलाल - मोहनलाल सुरेशचन्द्र
श्रीता पित्त मांगीलाल भीणा
निवासी - ~~भारतीयवाहन~~ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम
भारतीय रवेडा स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 103, 104
(प.ह. नैतवलमहाराज)

कुल कीता 2 कुल रकबा 1.0700 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम भारतीय रवेडा स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 103, 104

कुल कीता 2 रकबा 1.0700 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000/- रुपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(श्याम सुन्दर सिंह मोड़)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)